मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 471/2022.

भूप सिंह पुत्र श्री तुलछाराम जाति यादव निवासी वार्ड नम्बर 04, कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़

– – वादी

बनाम

1. अवतार सिंह पुत्र हजुर सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राज सिंह पुत्र हजुर सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. भाग सिंह पुत्र हजुर सिंह (फौत)

3/1 नक्षत्र सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/2 बलदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जंट्र सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/3 चरणजीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह पुत्री भाग सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 11, डबलीराठान, कुतुबवास तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/4 सुखजीत कौर पत्नी गुरबक्ष सिंह पुत्री भाग सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 11, बावरियों वाली ढ़ाणी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 28.3.2024

वादी की ओर से श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हितेन्द्र मोहन अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.3.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के [illegible] निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री [illegible] कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

(क) वादी भूप सिंह को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 9 [illegible].पी. के खाता संख्या 41 के पत्थर नम्बर 165/309(58) किला नम्बर 8 ता 13, 14/1/0.101 हैक्टर उत्तरी दिशा, 15/1/0.101 उतरी दिशा मय गैर मुमकिन कुल 1.720 हैक्टर।

Scanned with CamScanner

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 अवतार सिंह को प्राप्त आराजी :— चक नम्बर 9 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 165/309(58) किला नम्बर 21/0.202 दक्षिण दिशा, 22/0.202 दक्षिण दिशा, 23/0.203 दक्षिण दिशा, पत्थर नम्बर 165/310(65) किला नम्बर 1/0.253 कुल 0.860 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 राज सिंह को प्राप्त आराजी :— चक नम्बर 9 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 165/309(58) किला नम्बर 14/0.152 दक्षिण दिशा, 15/0.152 दक्षिण दिशा मय गैर मुमकिन, 16/0.253 मय गैर मुमकिन, 17/0.253, 18/0.016 उतरी दिशा, 19/0.017 उतरी दिशा, 20/0.017 उतरी दिशा, कुल 0.860 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :— चक नम्बर 9 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 165/309(58) किला नम्बर 18/0.237 दक्षिण दिशा, 19/0.236 दक्षिण दिशा, 20/0.236 दक्षिण दिशा, 21/0.051 उतरी दिशा, 22/0.051 उतरी दिशा, 23/0.050 उतरी दिशा, कुल 0.861 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/ बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 28.3.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner